

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-74/2020

सुकुमार दास

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री चरणजीत मुखर्जी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: ए०पी०पी०।

2/14.01.2020

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता, घाटशिला थाना काण्ड संख्या 71/2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर चोरी की गई मोटरसाईकिल बरामद की गई, जिसके लिए वह दिनांक 24.09.2019 से अभिरक्षा में है।

अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता को 10,000/— (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान ए0सी0जे0एम0, घाटशिला की संतुष्टि पर, घाटशिला थाना काण्ड संख्या 71/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन

मुखोपाध्याय, न्याया0)